[निजी प्रसार के लिए]

अंक १५ नई दिल्ली, मई २०११

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई जनतांत्रिक पुलिस के लिए

"थर्ड डिग्री से पुलिस के काम में कुछ हासिल नहीं होता है"

श्री सुधीर चौधरी

श्री सुधीर चौधरी, आई.जी., भारतीय पुलिस सेवा में 1988 से कार्यरत हैं। वे इंजीनीयरिंग में स्नातक हैं और विश्वपरिषद इंडियन इंस्टीट्यूट अहमदाबाद से एम.बी.ए. की डिग्री भी प्राप्त की है। उन्होंने, ऑक्सफॉर्ड विश्वविद्यालय से 'प्रिवेन्शन ऑफ टार्चर' का सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है।

हरियाणा कैडर के होने के कारण, वे सिरसा, कर्नाल, गुडगांव, कैठल, पंचकुला के एस.पी. भी रह चुके हे और सी. आई.डी., इंटेलिजेंस विभाग इत्यादी में रहते हुए भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण भुमिकाएं निभाई हैं। एक ओर श्री चौधरी ने आई.आई.एम. अहमदाबाद से एम.बी.ए. किया है तो दूसरी ओर मानव अधिकार आयोग में काम करते हुए मानव अधिकार उल्लंघन के कई केसों की जांच कर चुके हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, वे आजकल हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और हरियाणा पुलिस के प्रशिक्षण को मजबूत बना रहे हैं।

पुलीसींग और प्रशिक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर श्री चौधरी से आभा जोशी की विशिष्ट बातचीत।

पुलिस प्रशिक्षण के मूल उद्देश्य क्या हैं?

पुलिस के काम में सबसे पहले ध्यान दिया जाता है शारीरिक तन्दुरूस्ती पर ताकि पुलिस वाले अपना काम अच्छी तरह निभा सकें। इसके अलावा, उन्हें मानसिक तौर पर सतर्क बनाना भी प्रशिक्षण का उद्देश्य है। फिर, सबसे ज़रूरी है, इस काम को निभाने के लिए पुलिसकर्मियों में अनुशासन पैदा करना।

प्रशिक्षण का तरीका और उसमें विषयों का चयन कैसे किया जाता है? पुलिस अकादमी की इसमें कितनी भुमिका होती है?

प्रशिक्षण का तरीका और विषय इत्यादी एक लंबे अरसे के दौरान विकसित होते हैं और ज़रूरत के अनुसार बदलते रहते हैं। प्रशिक्षण बी.पी.आर. एण्ड डी. द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार होता है। इसमें अलग–अलग राज्यों की अकादमी अपनी आवश्यकतानुसार कुछ बदलाव करती हैं जैसे–चलने का ढ़ंग, सैल्यूट करने का तरीका इत्यादी। इनमें थोड़ा–थोड़ा फर्क हो सकता है। क्योंकि पुलिस राज्य का विषय है इसलिए स्थानीय मौसम, सामाजिक तत्वों के अनुसार थोड़ा बहुत बदलाव लाया जाता है।

आई.पी.एस. अधिकारियों का एक प्रशिक्षण होता है और फिर उन्हें कुछ समय तक उनके राज्य में भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

आधुनिक युग में पुलिस के काम के अनुसार क्या प्रशिक्षण में भी बदलाव लाया गया है?

जब सारे सामाजिक माहौल में बदलाव आता है तो ज़रूरत के अनुसार प्रशिक्षण में बदलाव लाया जाता है। समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ही पुलिस की प्रतिक्रिया भी उसके अनुकूल होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, आधुनिक पुलिस में आतंकवाद की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसका सामना करने के लिए प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी था। इसलिए, इसे प्रशिक्षण में जोड़ा गया। प्रयोजन के बजाय स्फूर्ती, शारीरिक तन्दुरूस्ती इत्यादी पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा।

इसके अलावा, साईबर अपराध का नया क्षेत्र, अपराध के आंकड़ों में बढ़ोतरी, कंप्यूटरीकरण इत्यादी नये विषय थे जिनकी वजह से प्रशिक्षण में उचित बदलाव लाये गये।

लेकिन पुलिस का वास्ता सबसे अधिक आम लोगों से पड़ता है। इसलिए पुलिस प्रशिक्षण का सबसे बड़ा पहलू है, आम लोगों से कैसे पेश आएं। हरियाणा पुलिस अकादमी ने अपना उद्देश्य अपनाया है–"संवेदी पुलिस, सशक्त समाज"। अर्थात् यदि पुलिस के व्यवहार में सहानुभूति और संवेदना आएगी तो समझ अपने आप मज़बूत होगा।

हरियाणा पुलिस अकादमी (एच.पी.ए.) में हो रहे कुछ नये प्रयोगों के बारे में बताएं?

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) द्वारा शुरू किये गये सी.सी.टी.एन.एस. कार्यक्रम के अंतर्गत साईबर लैब का निर्माण हुआ ताकि पूरा महकमा कंप्यूटर शिक्षित हो सके।

कंप्यूटर शिक्षा की ज़रूरत थानों में सूचना को व्यवस्थित रखने के लिए भी आवश्यक है और दूसरी ओर महकमे के प्रबंधन में, जैसे–पोस्टिंग इत्यादी का ब्यौरा रखने में भी ज़रूरी है। अब सभी परीक्षाएं ऑन लाईन कर दी गई हैं। इससे परीक्षा की व्यवस्था में पारदर्शिता आई है। इससे परीक्षण पाने वालों की बढ़ती हुई संख्या को भी आसानी से संभाला जा सकता है।

हरियाणा में महिला सशक्तिकरण पर काफ़ी ज़ोर डाला गया है और इसका प्रभाव पुलिस में भी आया है। इसके अनुसार उनकी ट्रेनिंग के भी प्रबंध किये जाते हैं। हरियाणा पुलिस अकादमी न्याय प्रणाली के अन्य मुख्य भागों का प्रशिक्षण भी आयोजित करता है, जैसे– न्यायाधीश और अभियोजक, राज्य सिविल सेवा के अधिकारी, इत्यादी।

हरियाणा पुलिस अकादमी द्वारा प्रशिक्षण में मानव अधिकारों पर कितना बल दिया जाता है?

हरियाणा पुलिस के प्रशिक्षण में मानव अधिकारों पर काफ़ी बल दिया जा रहा है और नियमित तरीके से मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावे के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं क्योंकि अब किसी भी तरह के मानवाधिकार उल्लंघन के लिए 'ज़ीरो टौलरेंस' अपनाया लिया गया है। यानि, उल्लंघनों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग कहते हैं कि अभी भी उल्लंघन होता है, इतने बड़े फ़ोर्स में कुछ घटनाएं तो होंगी लेकिन जब उसूल के तौर पर 'ज़ीरो टोलरेंस' अपनाया जाता है, तो ऐसे किसी भी उल्लंघन के लिए सख़्ती से कार्यवाही की जाती है। इसके लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण द्वारा तैयार करना होगा और इस विषय का प्रशिक्षण में जोड़ा गया है। हाल ही में तकनीकी और मानवाधिकार प्रशिक्षण इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ मिल कर चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम एच.पी.ए. में स्थित है।

हम मानव अधिकारों को भी व्यहवारिक रूप से सिखाते हैं। जैसे प्रैक्टिकल उदाहरणों से यह दिखलाना कि 'थर्ड डिग्री' से पुलिस के काम में कुछ हासिल नहीं होता।

कई बार यह देखा गया है कि पुलिस में कई साल से काम कर रहे पुलिसकर्मी प्रशिक्षण की ओर आकर्षित नहीं होते और उनका रवैया नकारात्मक रहता है। ऐसा क्यों है?

हां, उनमें ऐसी भावना थोड़ी बहुत होती है, लेकिन यहां आने के बाद उन्हें अच्छा लगता है। उनकी नकारात्मक सोच शायद इसलिए होती है क्योंकि यहां आकर काफ़ी अनुशासन में रहना पड़ता है। उसके अलावा उन्हें यह लगता है कि 'थ्योरी और प्रैक्टिकल' में बहुत अंतर है। इसलिए हम अधिक से अधिक थ्योरी को प्रैक्टिकल बातों से जोड़ के पढ़ाते हैं। जैसे–इंवेस्टीगेशन में असली केस फ़ाईल का मुआयना करवाते हैं।

सेवा के मध्य का प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें शारीरिक तन्दुरूस्ती पर बल दिया जाता है और कानूनों में बदलाव, संशोधन इत्यादी के बारे में जानकारी मिलती है।

आपके विचार में प्रशिक्षण प्रणाली में क्या–क्या कमियां हैं?

सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशिक्षण द्वारा नैतिकता और उसूलों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, जिससे पुलिसकर्मियों में ईमानदारी और एकाग्रता बढ़े और सेवा के दौरान यह भावनाएं समाप्त होने के बजाय बनी रहें और बढ़ें। शारीरिक फ़िटनेस, पढ़ाई के प्रति रूझान और जो अन्य गुण पुलिस में होने चाहिए वह सिखाना आसान है पर उसूलो को मज़बूत बनाना कठिन है।

इसके लिए भी हमने एच.पी.ए. में कुछ नये प्रयास किये हैं, जैसे नाटक और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा इन बातों का एहसास दिलाना। हमरे यहां संवेदी गतिविधियों के लिए बाकायदा अलग से समय दिया जाता है जोकि पाठ्यक्रम में शामिल है। इसमें साहित्य बोध, अन्य विषयों पर चर्चा इत्यादी किया जाता है। यह एच.पी.ए. का एक अनोखा पहलू है, खास कर कि इसलिए कि कहा जाता है कि पुलिस के काम करने से कुछ अरसे बाद नकारात्मक सोच हो जाती है और पुलिस भी इंसानी मुल्यों से दूर हटने लगतीहैं। इसी में बदलाव के लिए यह गतिविधियां ज़रूरी हैं। इसलिए

(शेष पृष्ठ 4 पर)....

पुलीसींग और मानव अधिकार

मानव अधिकार क्या हैं और एक प्रजातांत्रिक समाज में पुलिस की भूमिका क्या होनी चाहिए? मानवाधिकारों की सुरक्षा में पुलिस सेवा का क्या योगदान है?

क्या मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता हमेशा प्रभावशाली पूलीसींग में बाधा डालता है? क्या मानवाधिक्रार हमारे लिए कोई बाहरी, अनजान विषय है? हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि मानवाधिकार एक विदेशी धारणा है? क्या यह वास्तव में इतनी बुरी चीज़ है?

मानव अधिकार की धारणा मानवीय स्वतंत्रता, समानता, निष्पक्षता और न्याय जैसे बुनियादी मुल्यों पर आधारित है। यह सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार और किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, पर बल देता हे। मानव अधिकार, अधिकारों और स्वतंत्रता की बुनियादी गारन्टी हैं जो हर व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन जीने और अपने संपूर्ण सामर्थ्य को पाने के लिए आवश्यक है। मानव अधिकारों में शामिल हैं– भय और कमी से मुक्त जीवन, समानता और भेदभाव के बगैर व्यवहार, अपमानजनक, क्रूर और अमानवीय व्यवहारों से सुरक्षा, जीवन यापन के लिए समान अवसर की तलाश, संपत्ति रखने और बेचने के लिए स्वतंत्र होना, अच्छा स्वास्थ्य रखना और बीमारी की हालत में देखभाल हासिल करना, शिक्षा पाना, आश्रय पाना, अपनी सोच और विचारों को स्वतंत्रता पुर्वक व्यक्त कर पाना, अपनी पसंद के धर्म को मानना और सबसे अहम है कि जब इनमें से एक या उससे अधिक अधिकारों का हनन हो तो, न्याय और प्रभावशाली उपचार हासिल कर पाना। मानव अधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, क्या करता है, कहां से है, क्या कहता है या सोचता है। इसका अर्थ है कि मानव अधिकारों का आनन्द हर कोई उठा सके बगैर किसी राष्ट्रीयता, नागरिकता, ज़ाति, नस्ल लिंग, धर्म, भाषा, राजनैतिक विचार और योग्यता के भेद–भाव के।

इसलिए मानव अधिकार कोई नई चीज नहीं है। यह हमारे संविधान और कानूनों का ही भाग है। पूलीसींग एक माध्यम है जिसके ज़रिये राज्य व्यक्तियों और समूहों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करने और उन्हें सुरक्षित रखने के दायित्व को पूरा करती है या इसमें असफ़ल हो जाती है। ऐसे सभी अधिकार और स्वतंत्रता पूलीसींग से प्रभावित हो सकते हैं और पूलीसींग को प्रभावित कर सकते हैं। हांलाकि, पुलिस के मकसद और उनकी गतिविधियों के स्वरूप को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सबसे महत्त्वपूर्ण मानवाधिकारों पर पुलिस के काम और शक्तियों का सबसे अधिक असर हो सकता है।

उदाहरण स्वरूप, बल प्रयोग का अधिकार जीवन जीने के अधिकार से नियंत्रित होता है, व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित करने का अधिकार उनके स्वतंत्रता और अवैधानिक गिरफ्तारी पर रोक के अधिकार से नियंत्रित है। इसी प्रकार तलाशी और निगरानी करने का अधिकार प्राईवेसी के अधिकार से नियंत्रित होता है। इसके अलावा, पुलिस द्वारा टॉर्चर या अपमानजनक व अमानवीय व्यवहारों पर संपूर्ण निषेध का मकसद है लोगों को पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके किसी भी अधिकार का उपयोग करते हुए क्रूरता से बचाना।

मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता, क्या पुलिस दायित्वों के प्रभावी निष्पादन में बाधा नहीं डालती?

बहुत सारे पुलिस अधिकारियों का मानना है कि मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता किसी न किसी रूप में, प्रभावी तरीके से कानून लागू करने के विरूद्ध है। और, प्रभावी कानून लागू करने का अर्थ है अपराधियों को पकड़ना और उनकी सज़ा के लिए कानूनों को थोड़ा बहुत तोड़ना–मरोड़ना आवश्यक है।

पुलिस द्वारा, प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक बल का उपयोग, बंदियों से जानकारी लेने के लिए शारीरिक दबाव डालना, गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक बल का उपयोग करने की प्रवृत्ति अकसर देखने को मिलती है। इस तरह सोचने में कानून लागू करना अपराध के खिलाफ जंग है और मानव अधिकार पुलिस के रास्ते में गैर सरकारी संगठनों और वकीलों द्वारा डाली गई बाधा है।

वास्तव में, पुलिस द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन, पहले से ही कानून लागू करने जैसे चुनौती भरे काम को और कठिन बनाता है। जब कानून लागू करने वाले स्वयं ही कानून तोड़ने लगते हैं तो इसका नतीजा होंता है मानव गरिमा, कानून और सभी जन प्राधिकार संबंधित संस्थानों पर प्रहार। पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के हनन के बहुमुखी प्रभाव हैं–

- यह जन–विश्वास घटाता हैं
- यह अदालत में प्रभावी अभियोजन में बाधा डालता हैं
- यह पुलिस को समुदाय से अलग करता है
- यह दोषी को सजामुक्त कराता है और निर्दोष को सज़ा दिलाता है
- यह पुलिस एजेंसी को अपराध के प्रतिक्रियात्मक बनाता है नकि निवारक
- इससे पब्लिक एजेंटों और जन प्राधिकरणों की बदनामी होती है
- यह आंतरिक रूप से जन–अशांति को बढ़ाता है

मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता से पुलिस के काम में कैसे मदद मिल सकती है?

कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा मानवाधिकार के प्रति आदर उन एजेंसियों की प्रभाविता को बढ़ाता है। जहां मानव अधिकारों का सुव्यवस्थित तरीके से आदर किया जाता है, वहां के पुलिसकर्मियों में अपराधों को रोकने, जन व्यवस्था को बनाए रखने में व्यावसायिकता पैदा हुई है। इस तरह, एक पुलिस अधिकारी के लिए कानून लागू करने में, मानवाधिकारों के प्रति आदर उसकी नैतिक, वैधानिक और न्यायसंगत अनिवार्यता में बढ़ोतरी है। जब देखा जाता है कि पुलिस मानवाधिकारों का आदर, समर्थन और बचाव कर रही है तो–

- जन विश्वास बनता है और समुदाय में सहयोग प्रोत्साहित होता है
- अदालत में अभियोजन सफ़ल होता है
- पुलिस को एक महत्त्वपूर्ण कार्य करने वाले, समुदाय के अंश के रूप में देखा जाता है
- स्वच्छ न्याय संचालन होता है, परिणामस्वरूप, व्यवस्था में विश्वास पैदा होता है
- दूसरों के द्वारा समाज में कानून के प्रति आदर का उदाहरण स्थापित होता है
- पुलिस समुदाय से नज़दीक होने के काबिल होती है, और, इसलिए अग्रसक्रिय पुलिसिंग द्वारा अपराधों को रोक सकती है और केसों को हल कर सकती है
- मीडिया, उच्च अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से समर्थन प्राप्त होता है।

एक प्रभावी पुलिस सेवा वह होती है जो मानवाधिकारों के बचाव में सबसे पहले आती है। इसके सदस्य अपना काम, किसी भय और अपरिपक्व शक्ति पर निर्भर होकर नहीं करते बल्कि कानून के प्रति आदर और व्यावसायिकता से करते हैं।

मानव अधिकारों की सुरक्षा में प्रशिक्षण क्या भुमिका निभाती है?

पुलिस को मानव अधिकारों पर प्रभावी प्रशिक्षण देना, देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और इसकी सुरक्षा के प्रयत्न में एक अहम अंश है। मानव अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए पहले पुलिस को इसे जानना और समझना ज़रूरी है। इसके अलावा, पुलिस को अपने काम से जुड़े विभिन्न कानूनों और दिशा निर्देशों से परिचित होना चाहिए और उनका, अपने रोज़मर्रा के काम में हथियार के रूप में उपयोग करने में समर्थ होना चाहिए। उन्हें यह अवश्य समझना चाहिए कि उनके काम से जुड़े मानवाधिकार के आदर्शों को इसलिए बनाया गया था ताकि वे, एक प्रजातांत्रिक समाज में उनके कठिन कार्य–निष्पादन में मार्गदर्शन कर सकें।

हांलाकि, पुलिसकर्मियों को अपने काम में न केवल नियमों को जानने की आवश्यकता है बल्कि यह भी जानना जरूरी है कि वे, उन नियमों के दायरे में कैसे प्रभावी काम करेंगे। प्रशिक्षण की ऐसी कोशिश, जो इस आवश्यकता को पूरा नहीं करती वह न तो प्रभावी होगी और न ही विश्वाश के योग्य। पूरे प्रशिक्षण सत्र के दौरान इस बात पर बल देना ज़रूरी है कि मानवाधिकारों की जानकारी, एक आधुनिक कानून लागू करने वाली एजेंसी के हर सदस्य को होना उनकी व्यवसायिक आवश्यकता है। आखिर, पुलिस का मुख्य कार्य कानून लागू करना ही तो है और कोई भी कानून अपने प्राधिकार में मानव अधिकार के कानून से बढ़कर नहीं है।

हम, लोक पुलिस के अगले अंक में एक तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें यह बताया जाएगा कि किस प्रकार मानव अधिकार कानूनों के पालन के अलावा और कुछ नहीं हैं। कैसे प्रत्येक मानव अधिकार हमारे संविधान या कानून में मौजूद है।

– नवाज़ कोतवाल

हम, *लोक पुलिस* के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, लोक पुलिस में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

क्या आप जानते हैं?

लोक पुलिस के अगले कुछ अंकों में हम ऐसे लेखों की श्रृंखला प्रकाशित करेंगे जिनकी जानकारी हर पुलिसकर्मी को होनी चाहिए। अपने पुलिस करियर के किसी न किसी मोड़ पर आपको इनकी जानकारी हुई होगी। जिन पुलिस अधिकारियों ने हाल ही में पुलिस बल को ज्वॉयन किया है उनके मस्तिष्क में यह बात काफी तरो–ताज़ा होगी। जिन लोगों ने बल में काफी समय गुज़ार दिया है उन्हें इन लेखों से अपनी जानकारी को ताज़ा करने में मदद मिलेगी।

हमें आशा है, आपको ये कॉलम पसंद आएगा। "क्या आप जानते हैं" श्रृंखला में यदि आप कोई लेख भेजना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हम आपके लेख को अगले अंक में प्रकाशित करेंगे।

पुलिस के कर्त्तव्य और ज़िम्मेदारियां

पुलिस अधिनियम 1861 में पुलिस के निम्नलिखित कर्त्तव्य बतलाए गए हैं:–

1. एक उचित अधिकारी द्वारा जारी प्रत्येक आदेश का पालन करना और वारंट को कार्यान्वित करना,
2. लोक शांति को प्रभावित करने वाली इंटेलिजेंस को इकट्ठा करना और बतलाना,
3. अपराधों और जन उपद्रव को होने से रोकना,
4. दोषियों का पता लगाकर न्याय दिलाना,
5. उन सभी लोगों को पकड़ना जिनको पकड़ने के लिए वह कानूनी तौर पर अधिकृत है और जिनको पकड़ने के लिए उचित आधार मौजूद है।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग (एन.पी.सी.) द्वारा दिया गया चार्टर 1861 के चार्टर से भी कहीं आगे बढ़कर दायित्वों के निर्वहन का निर्देश देता है। यह न केवल इस अंतराल में बल में हुए बदलाव को ध्यान में रखते हुए बल्कि सामाजिक और राजनैतिक वातावरण के अनुसार जहां पुलिसकर्मियों को काम करना है, पुलिस दायित्वों को बतलाता है। एन.पी.सी. के मॉडल पुलिस अधिनियम में पुलिस अधिकारियों के निम्नलिखित कर्त्तव्यों को निर्धारित किया गया है:–

1. जन–व्यवस्था को बढ़ाना और संभालना,
2. अपराधों की जांच करना, जहां उचित हो वहां अपराधियों को पकड़ना, और इससे संबंधित कानूनी कार्यवाही में भाग लेना,
3. ऐसी परिस्थितियों और कठिनाईयों को पहचानना जिनसे अपराध होने का अंदेशा हो,
4. निरोधक गश्त तथा पुलिस द्वारा निर्धारित दूसरे उपायों द्वारा अपराध घटित होने के अवसरों को कम करना,
5. अपराधों को रोकने के लिए दूसरी संबद्ध एजेंसियों द्वारा निर्धारित उपायों में मदद करना,
6. ऐसे व्यक्तियों की सहायता करना जिन्हें शारीरिक क्षति का ख़तरा हो,
7. समुदाय में सुरक्षा का एहसास पैदा करना और क़ायम रखना,
8. जनता और गाड़ियों के सुव्यवस्थित गति को सहज बनाना,
9. परामर्श देना, झगड़े को सुलझाना और मित्रता बढ़ाना,
10. परेशान लोगों को आवश्यक सेवा और मदद देना,
11. जन–शांति को प्रभावित करने वाली तथा साधारण अपराधों, सामाजिक और आर्थिक अपराध तथा देश की सुरक्षा और एकता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों की गुप्त सूचना एकत्रित करना,
12. ऐसे दूसरे कर्त्तव्यों का पालन करना जो लागू कानून से संबंधित हो।

पुलिस के लिए आचार–संहिता

हमारे देश में पुलिस संबंधित आचार संहिता को 1960 के इंस्पेक्टर जनरल कॉन्फ्रेंस में अपनाया गया था। बाद में इसे भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को भेज दिया था। राष्ट्रीय पुलिस आयोग (एन.पी.सी.) ने इस विषय का निरीक्षण करने के बाद खण्ड 12 में संशोधन की सिफारिश की थी। एन.पी.सी. द्वारा सिफ़ारिश की गई और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत और राज्यों को भेजी गई अंतिम संहिता के कुछ अंश प्रस्तुत हैं:–

क्या आप जानते हैं

1. पुलिस को संविधान पर ईमानदारी से निष्ठा रखनी चाहिए और संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकारों का आदर और समर्थन करना चाहिए।
2. पुलिस को उचित तरीके से बनाये गये किसी कानून की उपयुक्तता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। उन्हें कानून को सख्ती और निष्पक्षता से बिना किसी नम्रता, ईर्ष्या और भय से लागू करना चाहिए।
3. पुलिस को उनकी शक्तियों की सीमाओं को पहचानना चाहिए और उसका आदर करते हुए काम करना चाहिए। उन्हें न्यायपालिका के कार्यों को न तो अपने हाथ में लेना चाहिए और न ही ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि वे न्यायपालिका का काम करने बैठे हैं और केसों पर फैसला लेकर लोगों से बदला लेना चाहते हैं और दोषियों को सज़ा दे रहे हैं।
4. कानून के पालन को सुरक्षित करने या व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, पुलिस को जहां तक संभव हो समझाने–बुझाने, सलाह और चेतावनी देने के तरीके को इस्तेमाल करना चाहिए। जब बल का उपयोग करना अनिवार्य हो जाए तो भी उस परिस्थिति के अनुसार कम से कम बल का उपयोग करना चाहिए।
5. पुलिस का मुख्य कार्य अपराध और अव्यवस्था को रोकना है और पुलिस को यह पहचानना होगा कि उनकी योग्यता की कसौटी इन दोनों की अनुपस्थिति है न कि इनसे निपटने के लिए पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के प्रत्यक्ष सबूत से।
6. पुलिस को यह मानना होगा कि वे जनता के ही सदस्य हैं और उनमें और दूसरे लोगों में केवल इतना ही फर्क है कि समाज के हित में और इसकी ओर से उन्हें पूरे समय के लिए उन कर्त्तव्यों पर ध्यान देने का काम दिया गया है जो साधारणतः हर नागरिक द्वारा किया जाना चाहिए।
7. पुलिस को यह मानना होगा कि उनके कर्त्तव्यों की कुशलता इसी बात पर निर्भर करती है कि उनके पास जनता से कितने सहयोगी तैयार हैं। यह उन्हें तब हासिल होगा जब जनता उनके काम को उचित करार देगी और वे जनता का विश्वास और आदर जीत पाएंगे।
8. पुलिस के दिमाग़ में हमेशा जनता की भलाई होनी चाहिए और उनके प्रति संवेदी तथा विचारशील होना चाहिए। उन्हें हमेशा लोगों को, बगैर उनके सामाजिक पहुंच और सम्पत्ति का ध्यान में लाते हुए, दोस्ती और व्यक्तिगत सेवा उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहना चाहिए।
9. पुलिस को हमेशा अपने कर्त्तव्यों को स्वयं से पहले रखना चाहिए। ख़तरा, तिरस्कार और उपहास की स्थिति में उन्हें शांत रहना चाहिए और दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार रहना चाहिए।
10. पुलिस को हमेशा नम्र और शिष्ट रहना चाहिए, उन्हें भरोसेमंद और निष्पक्ष रहना चाहिए, उन्हें आत्म–सम्मान और साहस रखना चाहिए, उन्हें उच्च आचरण रखना चाहिए और लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिए।
11. उच्च्कोटि की सत्यनिष्ठा पुलिस प्रतिष्ठा का मूल आधार है। इसका ध्यान रखते हुए पुलिस को अपने निजी जीवन को ईमानदारी से साफ रखना चाहिए, आत्म संयम पैदा करना चाहिए और अपने निजी और व्यावसायिक जीवन में, कर्म और विचारों में सच्चाई और ईमानदारी रखनी चाहिए ताकि जनता आदर्श नागरिक के रूप में उनका आदर करे।
12. पुलिस को इस बात को मानना होगा कि राज्य के लिए उनकी सम्पूर्ण उपयोगिता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब वे उच्च स्तरीय अनुशासन बनाए रखें, अपने कर्त्तव्यों का कानून सम्मत तरीके से पालन करें और अपने उच्च अधिकारियों के कानूनी निर्देशों का पालन करें, बल के प्रति संपूर्ण निष्ठा रखें और स्वयं को निरंतर प्रशिक्षण और तैयारी की अवस्था में रखें।
13. एक प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य के सदस्य होने के नाते पुलिस को लगातार प्रयत्नशील रहना है कि वे व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर, भारत के लोगों में क्षेत्रीय, धार्मिक और भाषा संबंधी विविधताओं से आगे बढ़कर मधुर सम्बन्ध और भाई–चारे की भावना को बढ़ावा दें और ऐसे प्रचलन को ख़त्म करें जिससे महिलाओं या सुविधाहीन वर्ग के लोगों के सम्मान को नुकसान हो।

–नवाज़ कोतवाल

आपके विचार

सम्पादक महोदय,

लोक पुलिस के मार्च अंक में 'पुलिसिंग और महिला हिंसा' शीर्षक से छपा लेख काफ़ी ज्ञानवर्धक था। ऐसा नहीं है कि पुलिस महिलाओं से संबंधित अपराधों के प्रति असंवेदनशील है। हांलाकि, कई बार काम की अधिकता के कारण वह उन्हें टालने की कोशिश कर देती है। यह ग़लत है और इस रवैये में बहुत सुधार की आवश्यकता है। ऐसे लेख हम पुलिसकर्मियों को हमारे दायित्वों के प्रति जागरूक रखने के लिए छपते रहने चाहिए।

धन्यवाद

नवी मुंबई
सदस्य, महाराष्ट्र पुलिस

न्मस्कार जी,

मैंने चार महीने से ***लोक पुलिस*** पढ़ना शुरू किया है। मुझे इसके लेख बेहद रोचक लगते हैं। ज्ञानवर्धक हैं और सरल भाषा अच्छी लगती है। हमारे ज़िले के सभी थानों में इसे पढ़ा जाता है।

आशा है, धीरे–धीरे हमारी कठिनाईयों को रखने के लिए यह एक प्लेटफार्म का रूप ले पाएगा।

कांस्टेबल, उदयपुर
सदस्य, राजस्थान पुलिस

पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

अपराधियों को पकड़ने के नए तरीके

अपराधों की संख्या में कमी लाने तथा अपराधियों के मनोबल को दबाने के लिए न केवल अपराधियों को सज़ा मिलना आवश्यक है बल्कि, वे ऐसा न कर पाएं इसके लिए घटना से पहले ही उन्हें रोकना भी ज़रूरी है। लेकिन अपराध करने के पहले ही संभावित अपराधी को रोकने के लिए पुलिस के पास उचित जानकारी होना आवश्यक है। हाल ही में, इसी दिशा में प्रयत्नशील गुड़गांव पुलिस ने स्थानीय विक्रेताओं की मदद लेने का निश्चय किया है। इसके लिए शहरी पुलिस सब्ज़ी व फल विक्रेता, नाई, मोची और धोबियों की मदद लेगी। पूर्वी ज़िला पुलिस ने उन लोगों के लिए नकद 5000–10000 रू. के ईनाम की भी घोषणा की है जो अपराधियों को पकड़ने में मदद करेंगे।

पूर्वी ज़िले के डी.सी.पी. श्री विकास अरोड़ा ने बताया कि यह 'जनता पुलिस की आंख और कान के स्वरूप प्रोग्राम' के अंतर्गत किया जा रहा है। इसका प्रारंभ पूर्वी ज़िले से किया जा रहा है जिसके अंतर्गत हर बीट के लिए 50 ऐसे विक्रेताओं की पहचान कर ली गई है। पुलिस दूसरे लोगों को भी सम्मिलित कर सकती है।

बीट इंचार्ज, इन एजेंटों से प्रत्येक 15 दिन में एक बार बातचीत करेंगे, एस.एच.ओ. महीने में एक बार, ए.सी.पी. दो महीने में एक बार और डी.सी.पी. तीन महीने में एक बार इनसे मीटिंग करेंगे। पुलिस इन सूचना दाताओं से लगातार संपर्क में रहेगी और इनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। श्री अरोड़ा ने इस प्रोग्राम की सफलता के सूचक के रूप में यह भी बताया कि ज़िला पुलिस ने कार चोरी करने वाले एक ग्रूप और हशीश तस्करों के एक गैंग का पता भी लगा लिया है।

गुड़गांव पुलिस की इस कोशिश के नतीजे शुरूआती दौर में अच्छे लग रहे हैं। अगर पुलिस इन गुप्तचरों से अच्छा तालमेल बना कर रख सके और उनके विश्वास को टूटने न दे तो, ऐसे स्थानीय लोगों की मदद लेने का प्रोग्राम पुलिस के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, 1 मई 2011)

पुलिस एनकाउंटर पर कोर्ट का ज़ीरो टौलरेंस

पुलिस ने दिल्ली में 1997 में हुए बहुचर्चित कनॉट प्लेस एनकाउंटर केस में, आरोपियों की सज़ा बरकरार रखी है। इसमें ए.सी.पी. राठी पर हत्या का आरोप लगाया गया है। राठी की टीम ने एक व्यापारी को ख़तरनाक अपराधी बता कर उसकी हत्या कर दी थी। जांच में एनकाउंटर ग़लत पाया गया। यह केस सी.बी.आई. जांच कर रही थी।

इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय ने पांच पुलिसकर्मियों द्वारा दायर, ज़मानत की अर्ज़ी को ख़ारिज करते हुए कोर्ट ने पुलिस को चेतावनी दी कि जहां निचली अदालतों में पुलिस झूठे एनकाउंटर का मामला साबित हो जाता है, उसे 'रैरेस्ट ऑफ रेयर' मानते हुए मृत्यू दण्ड देना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को यह नहीं समझना चाहिए कि एनकाउंटर के नाम पर हत्या करके वे बच जाएंगे।

इस केस में आरोपी पुलिसकर्मी कदम की टीम ने एक कांट्रैक्ट किलर की भूमिका निभाई थी और व्यापारी श्री रामनारायण गुप्ता की मुंबई के पास झूठे एनकाउंटर में हत्या कर दी थी। इस केस में ट्रायल कोर्ट ने ज़मानत मंज़ूर कर दी थी, जिसे उच्च न्यायालय ने ख़ारिज कर दिया था। अंत में, उच्चतम न्यायालय ने भी इसे ख़ारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को बिना किसी प्रभाव के केस की सुनवाई करने को कहा है।

इसी प्रकार देहरादून के चार पुलिसकर्मियों को दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने 9 मई तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। यह केस उत्तराखण्ड से यहां ट्रांसफ़र किया गया था। यहां, जुलाई 2009 में एक 22 वर्षीय युवक, जो नौकरी की खोज में मेरठ से देहरादून गया था, कि रॉबरी का आरोप लगाकर झूठे एनकाउंटर केस में पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई थी।

उपरोक्त तीनों केसों में अदालतों के रवैये ने यह साफ़ कर दिया है कि पुलिस की मनमानी किसी भी रूप में असहनीय है। पुलिस को अपनी आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित कर, सावधान और चौकन्ना रहना होगा या फिर सज़ा के लिए तैयार रहना होगा।

(सौजन्य : इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम, ए.सी.पी. राठी बनाम सी.बी.आई.)

कानून व्यवस्था और जांच के लिए पुलिस का विभाजन आवश्यक

पुलिस के दो मुख्य दायित्व हैं–केसों की जांच और कानून व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन, अकसर दूसरा दायित्व पहले पर हावी हो जाता है। मौजूद पुलिसकर्मियों का अधिकांश समय कानून व्यवस्था बनाए रखने में निकल जाता है। फलस्वरूप, केसों की जांच पर बुरा असर पड़ता है। कई बार किसी केस की जांच कर रहे पुलिसकर्मी को जांच छोड़ कर बंदोबस्त ड्यूटी पर अचानक भेज दिया जाता है और देर होने की वजह से केस संबंधित अहम सबूत मिट जाते हैं।

इसका एक उदाहरण पिछले दिनों, तमिल नाडू के कई शहरों में बर्गलरी और चोरी के मामलों की जांच में हुई देर से लगाया जा सकता है। अप्रैल महीने के पिछले दो सप्ताह में यहां हर दिन दो बर्गलरी के केसों को दर्ज किया गया। दूसरे शहरों में भी पुलिस ऐसे केसों को दर्ज करने में व्यस्त रही। लेकिन इनका पता लगाने और बरामदगी की संख्या बहुत कम रही। सभी शहरों में पिछले तीन महीनों में पता लगाने की संख्या तकरीबन आधी हो गई है। इसके मुख्य कारण हैं– चुनाव, बंदोबस्त और गर्मी की छुट्टी। एक पुलिसकर्मी ने बताया कि चुनावों के समय उनका मुख्य काम चुनावों से जुड़ा होता है, अपराधों की जांच इसके बाद आती है। इस दिशा में मदुरई पुलिस ने पिछले साल बहुत बेकार प्रदर्शन किया है। पुलिस ने 22 लाख रूपयों के केसों में केवल 52 हज़ार रूपयों की बरामदगी की है।

केसों के सुलझने में विलम्ब का मुख्य कारण है जांच और कानून–व्यवस्था के लिए एक ही पुलिस का उपयोग करना। 2006 में प्रकाश सिंह के केस में उच्चतम न्यायालय मांग के अनुसार जांच और कानून व्यवस्था की पुलिस को अलग करने का निर्देश दिया था लेकिन इसका पालन अब तक नहीं हो पाया है। जबतक पुलिस के दो मुख्य दायित्वों के निर्वाह के लिए पुलिसकर्मियों को बांटा नहीं जाएगा, तब तक दोनों दायित्व विपरीत तौर से प्रभावित होते रहेंगे।

(सौजन्यः टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, 2 मई 2011)

तलाशी का उद्देश्य

(1) गिरफ्तार व्यक्ति के निजी सामान की सुरक्षा व अभिरक्षा हेत

(2) पुलिस हिरासत में गिरफ्तार व्यक्ति की सुरक्षा के लिए कभी–कभी अपराधी अपने पास कोई जहरीला पदार्थ या अन्य कोई हथियार जैसे ब्लेड आदि छुपाकर रख लेता है, जिससे वह खुद को या पुलिस कर्मियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

(3) कोई अवैध वस्तु जैसे चाकू, हथियार या नशीला पदार्थ बरामद कर गिरफ्तारी करने के लिए।

(सैजन्य : उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा सभी स्तर पर पुलिसकर्मियों को उपयोग के लिए दी जाने वाली पुस्तिका के कुछ अंश)

....(पृष्ठ 1 का शेष)

हमने यहां मनोवैज्ञानिक भी नियुक्त किये हैं जो इन सब विषयों पर इनका मार्गदर्शन कर सकते हैं।

प्रशिक्षण के लिए संसाधनों की क्या स्थिति है?

पिछले 10 सालों में प्रशिक्षण के लिए आर्थिक संसाधनों में काफ़ी बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है मानव संसाधनों की। हमें यहां प्रशिक्षण देने के लिए अच्छे लोग लाना मुश्किल होता है। पुलिस महकमे के जो लोग आते हैं, उन्हें पढ़ाने में रूचि नहीं होती, या उनका तर्ज़ुबा नहीं होता। फिर हम अपने यहां के लोगों को ही तैयार करते हैं और कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक निपुण लोगों को बुला कर यह कमी पूरी करें।

आप अन्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को क्या संदेश देना चाहेंगे?

मैं प्रथम राष्ट्रपति डॉ0 राधाकृष्णन के वो शब्द कहूंगा जिससे हम एच.पी.ए. में मूल विचार बना के चलते हैं–

"शिक्षा को तभी संपूर्ण माना जाएगा जब इसके द्वारा बौधिक विकास के साथ ही मन भी शुद्ध हो तथा आत्मिक अनुशासन को बल मिले"।